भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 03B/2018-19

1. मनजुड़ा देवी 2. विजय महतो **बनाम** योगेन्द्र महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
19.11.18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 2294 दिनांक 04.10.2018 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 03B / 2018-19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. मनजूड़ा देवी पति स्व० मुचिराम महतो, ग्राम-रांगामाटिया, पो०-नेंगटासाई, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ 2. विजय महतो पिता शम्भू महतो, ग्राम-रांगामाटिया, पो०-नेंगटासाई, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता योगेन्द्र महतो पिता स्व० माधव महतो, ग्राम-आँवलाटांड, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
रांगामाटिया	189	87	142	5.5डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता नं0-1 के पति एवं विक्रेता नं0-2 के स्वयं के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेतागण अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। जिसमें से 5.5डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 4.32 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 5.5डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

19.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।